प्राक्कथन

यह 1 मार्च, 1971 को यथा विद्यमान बीज अधिनियम, 1966 का द्विभाषीय संस्करण है । इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया गया है । अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 4 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग 2, अनुभाग 1 क, संख्या 25, खण्ड अ में पृष्ठ 169 से 181 में प्रकाशित हुआ था ।

इस हिन्दी पाठ को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होने पर, उस अधिनियम का अब यह हिन्दी में प्राधिकृत पाठ है ।

नई दिल्ली
01 मार्च, 1971

एन.डी.पी. नम्बूदरीपाद
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

बीज अधिनियम, 1966

धाराओं का क्रम

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. केन्द्रीय बीज समिति ।
4. केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला और राज्य बीज प्रयोगशाला ।
5. बीजों की किस्मों या उपकिस्मों को अधिसूचित करने की शक्ति ।
6. अंकुरण और शुद्वता आदि की न्यूनतम सीमाएं विनिर्दिष्ट करने की शक्ति ।
7. अधिसूचित किस्मों या उपकिस्मों के बीजों के विक्रय का विनियमन ।
8. प्रमाणन अभिकरण ।
9. प्रमाणन अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र का अनुदान ।
10. प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण ।
11. अपील ।
12. बीज विश्लेषक ।
13. बीज निरीक्षण ।
14. बीज निरीक्षक की शक्तियॉ ।
15. बीज निरीक्षकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रकिया ।
16. बीज विश्लेषक की रिपोर्ट ।
17. अधिसूचित किस्मों या उपकिस्मों के बीजों के निर्यात और आयात पर निबंन्धन ।
18. विदेशों के बीज प्रमाणन अभिकरणों को मान्यता ।
19. शास्ति ।
20. सम्पति का समपहरण ।
21. कम्पनियों द्वारा अपराध ।
22. निर्देश देने की शक्ति ।
23. छूट ।
24. नियम बनाने की शक्ति ।

बीज अधिनियम, 1966

(1966, का अधिनियम सं. 54)

(29 दिसम्बर, 1966)

कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और तत्संसक्त बातों के लिये उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1– संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1.) यह अधिनियम बीज अधिनियम, 1966 कहा जा सकेगा ।

(2.) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3.) यह उस तारीख को प्रवृत हेागा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये तथा विभिन्न राज्यों के लिये या उनके विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी ।

2– परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(1.) ''कृषि'' के अन्तर्गत उद्यान कृषि आती है ।

(2.) ''केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला'' से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या इस रूप में घोषित केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला अभिप्रेरित है ।

(3.) ''प्रमाणन अभिकरण'' से धारा 8 के अधीन स्थापित या धारा 18 के अधीन मान्यता प्राप्त प्रमाणन अभिकरण अभिप्रेत है ।

(4.) ''समिति'' से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय बीज समिति अभिप्रेत है ।

(5.) ''आधान'' से कोई बक्स, बोतल, संन्दूकची, टिन, पीपा, डिब्बा, पात्र, बोरी, थैला, आवेष्टन या अन्य वस्तु, जिसमें कोई चीज या वस्तु रखी जाती है या पैक की जाती है, अभिप्रेत है ।

(6.) '' निर्यात'' से भारत में से भारत के बाहर के स्थान को ले जाना अभिप्रेत है ।

(7.) ''आयात'' से भारत के बाहर के स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है ।

(8.) ''किस्म'' से फसल के पौधों की एक या अधिक सम्बद्ध जातियां या उपजातियां अभिप्रेत है, जिनमें हर एक अलग–अलग या संयुक्त रूप से एक सामान्य नाम से जानी जाती है जैसे बन्दगोभी, मक्का, धान और गेंहू ।

(9.) किसी बीज के संबंध में ''अधिसूचित किस्म या उपकिस्म'' से उसकी धारा 5 के अधीन अधिसूचित किस्म या उपकिस्म अभिप्रेत है ।

(10.) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमेां द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(11.) ''बीज'' से बोने या रोपण करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बीजों के निम्नलिखित वर्गो में से कोई अभिप्रेत है ।

(I) खाद्य फसलों के बीज, जिनके अन्तर्गत भक्ष्य तिलहन और फलों तथा शाकों के बीज आते है।

(II) बिनौला ।

(III) पशुओं के चारे के बीज

और इसके अन्तर्गत खाद्य फसलों या पशुओं के चारे की पौध और कंद, शल्क कंद, प्रकंद, जडे, कलमें, सब प्रकार के उपरोप और कायिक रूप से प्रवर्धित अन्य पदार्थ आते है ।

(IV) जूट के बीज

(12.) ''बीज विश्लेषक'' से धारा 12 के अधीन नियुक्त बीज विश्लेषक अभिप्रेत है ।

(13.) ''बीज निरीक्षक'' से धारा 13 के अधीन नियुक्त बीज निरीक्षक अभिप्रेत है ।

(14.) संध राज्य क्षेत्र के संबंध में ''राज्य सराकार'' से उस राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ।

(15.) किसी राज्य के संबंध में ''राज्य बीज प्रयोगशाला'' से उस राज्य के लिये धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित या इस रूप में घोषित राज्य बीज प्रयोगशाला अभिप्रेत है तथा

(16.) ''उपकिस्म'' से किस्म का ऐसा उपविभाजन अभिप्रेत है जो वृद्वि, उपज, पौधे, फल, बीज या अन्य लक्षण से पहचाना जा सकता है।

3– केन्द्रीय बीज समिति–

(1). इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, केन्द्रीय सरकार, स्वयं उसे और राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाली बातों पर सलाह देने के लिये और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे गए अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय बीज समिति कही जाने वाली एक समिति गठित करेगी ।

(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात–

(I) एक सभापति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

(II) आठ व्यक्ति, जो ऐसे हितों का, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, और जिनमें से दो से अन्यून व्यक्ति बीज उगाने वालों के प्रतिनिधी होगे ।

(III) राज्यों में से हर एक के द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक एक व्यक्ति

(3) समिति के सदस्य, जब तक उनके स्थान पद त्याग या मृत्यु के कारण या अन्यथा पहले ही रिक्त न हो जाए, दो वर्ष के लिए पद धारण करने के हकदार होंगें और पुनः नामनिर्दिष्ट होने के पात्र होंगें ।

(4) समिति, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के अध्ययीन रहते हुए, उपविधियां बना सकेगी, जिनसे गणपूर्ती नियत हो तथा स्वयं उसकी प्रक्रिया और उसके द्वारा संव्यवहृत किए जाने वाले सब कारबार का संचालन विनियमित हो ।

(5) समिति, चाहे तो पूर्णतया समिति के सदस्यों से, चाहे पूर्णतया अन्य व्यक्तियों से, चाहे भागतः समिति के सदस्यों से और भागतः अन्य व्यक्तियों से, जैसा वह ठीक समझें, मिलकर बनने वाली एक या अधिक उपसमितियां, समिति के कृत्यों में से ऐसे कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ, जो उस उपसमिति या उन उपसमितियों को समिति द्वारा प्रत्यायोजित किए जांए नियुक्त कर सकेगी ।

(6) समिति के या उसकी किसी उपसमिति के कृत्य उसमें कोई रिक्ति होते हुए भी, किए जा सकेंगें ।

(7) केन्द्रीय सरकार एक व्यक्ति को समिति का सचिव नियुक्त करेगी और समिति के लिए ऐसे लिपिकीय तथा अन्य कर्मचारी वृन्द का उपबन्ध करेगी जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे ।

(4) केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला और राज्य बीज प्रयोगशाला

(1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला को इस अधिनियम या उसके अधीन व्यक्त किए गए कृत्यों के पालन के लिए एक केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला स्थापित कर सकेगी या किसी बीज प्रयोगशाला को केन्द्रीय प्रयोगशाला घोषित कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक राज्य बीज प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी या किसी बीज प्रयोगशाला को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित कर सकेगी, जहां किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीजों को चिंन्हित रीति से विश्लेषण इस अधिनियम के अधीन बीज विश्लेषकों द्वारा किया जाएगा ।

(5) बीजों की किस्मों या उपकिस्मों को अधिसूचित करने की शक्तिः–

यदि समिति से परामर्श के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि कृषि के प्रयोजनार्थ बेचे जाने वाले बीज को किसी किस्म या उपकिस्म की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसी किस्म की उपकिस्म को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित किस्म या उपकिस्म, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी और विभिन्न राज्यों के लिए या उसके विभिन्न भागों के लिए विभिन्न किस्में या उपकिस्में घोषित की जा सकेगी ।